रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 1976/चैत्र 19, 1898
No. 142] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 1976/CHAITRA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April 1976

G.S.R. 291(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 21st December, 1975.

2. In rule 3 of Ministers' (Allowances, Medical Treatment and Other Privileges) Rules, 1957, after clause (f) of sub-rule (2), the following clause shall be inserted, namely:—

"(g) the Minister of Revenue and Banking, with effect from the 21st December, 1975, a sumptuary allowance of Rs. 250 per mensem."

Explanatory Memorandum

Sumtuary allowance given to Ministers, who are not members of the Cabinet, is determined in each case having regard to the requirements of the particular assignment of the Minister. Formulation and consideration of the proposal for granting of sumptuary allowance to the Minister of Revenue and Banking had taken time and the amendment has, therefore, to be given retrospective effect from the 21st December, 1975. It is certified that the interests of no one will be adversely affected by the amendment being given retrospective operation.

[No. 4/5/76-States]

S. S. SIDHU, Jt. Secy

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 291 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये 21 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के नियम 3 के, उपनियम (2) के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(छ) राजस्व और बैंककारी मंत्री, 21 दिसम्बर, 1975 से, प्रतिमास 250रु० समनुषंगी भत्ता ।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

ऐसे मंत्रियों को, जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, दिए जाने वाले समनुषंगी भत्ते का अवधारण प्रत्येक मामले में, मंत्री के विशिष्ट समनुदेशन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, किया जाता है । राजस्व और बैंककारी मंत्री को समनुषंगी भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव बनाने और उस पर विचार करने में समय लग गया था अतः संशोधन को 21 दिसम्बर, 1975 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० 4/5/76-राज्य]

एस० एस० सिद्धू, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976